रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.) 127 REGISTERED NO D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 1987/आषाढ़ 2, 1909
No. 135] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 1987/ASADHA 2, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 194-आईटीसी (पीएन)/85—88

नई दिल्ली, 23 जून, 1987

विषय —1986-87 के लिए येन 1,411 बिलियन की जापानी ऋण अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

मि. सं. आई पी सी/23(30)/85—88 1986-87 के लिए 1,411 बिलियन येन (ऋण सहायता) जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत आयातों के संबंध में लाइसेंस के लिए लागू होने वाली शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

ह./

राजीव मोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात

एस पी धार, उप मुख्य नियंत्रक,
आयात व निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 194 आई टी सी (पी एन)/85—88, दिनांक 23-6-1987 का परिशिष्ट।

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1986-87 के लिए येन 1,411 बिलियन येन 1,111,550,000) (ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

खंड 1—सामान्य शर्तें

1(1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई येन 1,411 बिलियन जापानी अनुदान सहायता भारत के अलावा आई सी सी और विकासशील देशों के हक में संगठित की गई है। तदनुसार इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त आने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबंध 1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं। ये देश इस अनुदान के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे। इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र मदें आयात की जा सकती हैं उनकी सूची अनुबंध 2 में दी गई है।

1(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक "1986-87 के लिए येन 1,411 बिलियन जापानी अनुदान सहायता" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत 'एस/जे एन' होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के लिए आयात लाइसेंस के अग्रेषित पत्र में भी दुहराए जाएंगे।

1(3) बैंक खर्च, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी या प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता का भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(4) आयात लाइसेंस लागत—बीमा भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारंभिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5) पक्के आदेश अनुबंध 1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर) अवर सचिव (टी.सी.) आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों या क्रय संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों द्वारा भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश और/या भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथाउल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है या ऐसे प्रस्ताव निरस्त कर से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1988 के बाद की न हो।

खंड 2—संभरण ठेकों का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें :—

2(1).(क) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य येन या यू. एस. डालर या पौण्ड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेंट या एक पेनी से कम को भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत बीमा और भाड़ा धनराशि अलग अलग प्रदर्शित की जा सकती है। परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्च वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय अन्तर भी होगी।

(ख) संविदा में संबद्ध आधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिए।

2(2) आयात लाइसेंस के विपरीत केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए।

2(3) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खण्ड 3—संभरक ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए :

3(1) 1986-87 के लिए येन 1.411 बिलियन के अनुदान सहायता से संबद्ध इस विशिष्ट की व्यवस्था 27-2-87 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है।

3(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान" के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1986 87 के लिए जापान अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

3(4) उस मामले में, जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिए संबंधित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए कम से कम 6 सप्ताह से पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड 4—भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) जैसे ही आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्र पार संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ समुद्रपार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या उनकी सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध 3 के प्रपत्र में "ए/पी" जारी करने के आवेदन की दो प्रतियों सहित संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां अवर सचिव (टी. सी.), आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषयवस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक संशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए लागू होगी।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज "ए/पी" जारी करने के लिए आवेदन पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजदूतावास, टोकियो और भारत में जापान के राजदूतावास को भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली 110001 बैंक आफ इण्डिया, टोकियों के लिए अनुबंध 4 के रूप में विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी करेगा। ए/पी की प्रतियां भारत के राजदूतावास, टोकियों आयातक, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएगी।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान की सरकार, भारत के राजदूतावास, टोकियों, आयातक के भारत मे बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

4(5) पोतलदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरो के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित वस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो वस्तावेज में उल्लिखित अपने बैंकरों के माध्यम से संभरक को वस्तावेजों में निर्दिष्ट धनराशि को रिलीज करेगा।

4(6) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्चे, भारत में आयातक के संबद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे।

खण्ड-5 रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व :

5(1) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा भारत मे आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबंध 3 के ण में उल्लिखित हो) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजो के ये विनियम सेट केवल इस बात को सुनिश्चय कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन/यू.एस. डालर/पौण्ड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों मे जहां देने योग्य है ब्याज के खर्चे सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उन धनराशि पर विदेशी, संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक ही अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31 आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 और सं. 35/आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 26-8-83 के अनुसार सरकारी लेखों में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों, अर्थात जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74 आई टी पी (पी एम)/74, दिनांक 31-5-1974 भुगतानों की येन यू.एस. डालर/पौंड धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनियम दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 8 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 मे निर्धारित मुद्रा विनियम की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाएगी। इस संबंध मे कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को भेजने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे मे सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर देना चाहिए कि असाधारण परिस्थितियों में सीमाशुल्क प्राधिकारियो से मूल पोत परिवहन दस्तावेजों के बिना माल का निकरण प्राप्त कर लेने पर धनराशि सरकारी लेखे में शीघ्र जमा करा दी गई है। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह है डिपोजिट एण्ड एडवान्सिज 843 सिविल डिपोजिटस—डिपो, जिट्स फोर परचेसिंग एटसेट्रा एब्राड परचेस ग्रान्ट ऐड फ्राम गवर्नमेंट आफ जापान फार 1986-87 (येन 1.411 बिलियन ग्रान्ट ऐड ऋण सहायता)।

5(2) उल्लिखित धनराशि चालान के दाहिने और कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसके उपरांत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डी कर्त्ता) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली 6 (हुण्डी ग्राहक और प्रापक) की सार्वजनिक सूचना सं. 184 आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-1968, सं. 233 आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 मे यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन-प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों उसके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 2-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974 मे भी निर्धारित सूचना चालान के कालम धन परेषण कर प्राधिकारण (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए है। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए।

(क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं. और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निपटान किए जाते हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना जाएगा।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।
(ब्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है।

उसके पश्चात् सी ए ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजो को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी. ए. ए. एण्ड ए. को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी: भारत के आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक आफ इंडिया, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए

और यह कि इसके तत्काल बाद सी. ए. ए. एण्ड ए., वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा ।

5(4) भारत में संबद्ध बैंक आफ इंडिया को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बंबई को भेजना चाहिए ।

खण्ड-6 विविध शर्तें :—

6(1) आयात-लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट:—

**आयातक को सम्भरक को अदा किए गए भुगतान की राशि और तिथि का पता करने के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए । आयातक के ऋणदाता द्वारा पोत परिवहन आदि दस्तावेजों की बाद में या देरी से प्राप्ति को रुपया निक्षेप पर देय ब्याज की आंशिक या पूरी धन राशि को माफ करने के लिए बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

6(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत करायें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती है ।

6(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तर-दायित्व नहीं लेगी । बैंक आफ इंडिया, टोकियों द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्त साफ-साफ भुगतान के नियमन के अधीन अनुबंध-1 में दर्शाई जानी चाहिए । विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए ।

6(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित जापान से 1986-97 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आधारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरंत पालन करना होगा ।

6(5) अतिक्रमण का उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में स्थिर की गयी शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

6(6) अनुबंधों की सूची:—

अनुबंध -1 पात्र स्त्रोत देशों की सूची

अनुबंध -2 पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबंध -3 भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र

अनुबंध -4 भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी) का प्रपत्र,

**आयातक को पोतलदान और उसके मद्दे भुगतान और बकाया रह गई धनराशि से सम्बन्धित एक मासिक रिपोर्ट प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

अनुबंध- 1

पात्र स्त्रोत देशों की सूची

(क) ओ ई सी डी देश
आस्ट्रेलिया
कनाडा
फिनलैंड
जर्मनी संघीय गणराज्य
यूनान
आइसलैंड आयरलैंड
इटली
लगजमबर्ग
जापान
दी नीदरलैंड
नार्वे
स्पेन
स्वीटजरलैंड
दि यूनाइटिड किंगडम और यूनाइटिड-स्टेट्स
बेलजियम
डेनमार्क
फ्रांस
न्यूजीलैंड
पुर्तगाल
स्वीडन
तुर्की

(ख) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ख-1) नान-ओ.पी.ई.सी. विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा
मिश्र
तुनीशिया
मोरक्को

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा
अंगोला
बरून्डी
केप वर्डी द्वीप समूह
चाड
इथोपिया
कांगो, डमोह गणराज्य (1)
बोत्सवाना
केमेरून
केन्द्रीय अफ्रीकन गणतंत्र
कमोरो द्वीप समूह
गोबिया
इक्वेटोरियल गाईना
कीनिया
मालागासी गणतंत्र
मारीशस
आइवरी कोस्ट
लेसोथे
मारितेनिया
मोजाम्बीक
पुर्तगाल गिनी
रोडेशिया

सेंट हेलिना और डेप (2)
सेनेगाल
सियरा लिओन
सूडान
टेरों अफार्स और इस्साम
युगान्डा
अपर वोल्टा
जाम्बिया
नाइजर
रि-युनियन
रवान्डा
सौ टोम प्रिन्सीपि
सिचिलीज
सोमालिया
स्वाजीलैंड
टोगो
तंजानिया गणतंत्र संघ
जायरे गणतंत्र

3 अमेरिका-उत्तरी और केम्ब्रीय
बेहमस
बेलाइज
कोस्टारिका
डोमिनिकन गणतंत्र
गुआडिलायप
हैती
जमैका
बारबाडोज
बरमुडा
क्यूबा
एल साल्वाडोर
ग्वाटेमाला
होन्डुरस
मार्टिनिकम्यू
पाना
मैक्सिको
निकारागुआ
सेन्ट पियरी और मिल्युलोन
वेस्ट इंडीज (बा.) एल. आई. ई.
(क) संबंधित राज्य (1)
(ख) आश्रित राज्य (2)
गिनी
नीदरलैंड एवाजिलीज
पनामा
ट्रिनिडाड टाबागो
दक्षिणी अमरीका
अर्जेन्टीना
ब्राजील
कोलम्बिया
फ्रांसिसी गिनी
पाराग्वे
सूरिनाम
बोलिविया
चिली
फाल्कलैंड द्वीप समूह
गुयाना
पोरु
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया
बेहरीन
जोर्डन
ओमन
यूनाइटिड अरब अमिरात
यमन अरब गणतंत्र (3)
यमन जनवादी डी. आर (4)
इजराइल
लेबनान
सिरयाई अरब गणतंत्र

6. दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
भूटान
मालद्वीप
पाकिस्तान
बांगला देश
बर्मा
नेपाल
श्री लंका

7. सुदूर पूर्व एशिया
बुर्नेई
खेमर गणतंत्र
लाओस
मलेशिया
सिंगापुर
थाईलैन्ड
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र
हांगकांग
कोरिया गणतंत्र
मकाओ
फिलीपाइन
ताइवान
तिमौर
गणतंत्र

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश करने को द्वीप समूह ।
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित ' असैन्शन, टिस्टन डा कुन एक्सेसियन्स, नाइटिंगेल, गफ ।
(3) ऐंग समूह, अरबा, बोनेयरे, क्यूराकाओ सबा, सेंट युस्टासिट, सेन्ट मारटिन (दक्षिणी भाग)

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुआ, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट करिस्टैफे), नेविस अंगुइला, सेंट लूसिया और सेंट विसेंट ।
(2) मेन आई लैन्ड, मोन्टेसे रैट, येमान, तुर्की और काइकोस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह ।
(3) आईजुमन, दुबई, फजाइरह, रास अल कमाह शेरजाह और उम्मल क्वेबन ।
(4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित ।
(5) सोमायटी आईसलैंड्स समूह (ताहिसी सहित) को शामिल करते हुए अस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोट, जाबियर ग्रब और मार्कैसस द्वीप समूह ।
(6) बेबिक द्वीप समूह का दूरस्थ प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मैरिना समूह (ग्राम को छोड़कर) ।

8. ओशिनिया
कोक द्वीप समूह
गिल गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
नारु
न्यूकेप्रिसैस (वि. और फ.)
फ्रांसिसी पौलिनेशिया (5)
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
सोलामन द्वीप समूह (ह्रि.)
वालिस और फतुना
फिजी
न्यू कोलेडोनिया
नियूई
पापुआ न्यू गिनी
टोगो
पश्चिम समाओ

9. यूरोप
साइप्रस
ग्रीक
स्पेन
युगोस्लाविया
जिब्राल्टर
माल्टा
तुर्की

खण्ड-2 ओ. पी. ई. सी. के सदस्य या सहयोगी देश :

अल्जीरिया
बोलिविया
गेवान
इक्वेडोर
ईरान
कुवैत
आबू धाबी
सऊदी अरब
सीरियाई अरब गणतंत्र
नाइजीरिया
वेंस्युएला
ईराक
कातार
इन्डोनेशिया

अनुबन्ध-2

पात्र पण्य सूची

1. रोलज
2. विशेष इस्पात और मिश्र-धातु इस्पात सहित इस्पात
3. ट्रकों और टैक्टरों के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे
4. रसायन
5. जापान अनुदान परियोजना और भारत जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे संघटक, और कच्चा माल
6. बिजली के ट्रकों के लिए संघटक, संयोजक और फालतू पुर्जे
7. मशीनरी, संघटक, संयोजन, फालतू पुर्जे और कच्चा माल
8. अणु उद्योग क्षेत्र के लिए मशीनरी और उपस्कर
9. तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए मशीनरी, उपस्कर और फालतू पुर्जे।
10. उर्वरक और ऐसी अन्य मदें, जिन पर आपस में सहमति हो।

अनुबन्ध-3

"भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

सं. · दिनांक ·

सेवा में

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग,
प्रथम मंजिल
पार्लियामेंट स्ट्रीट
नई दिल्ली-110001

विषय:—1986-87 के लिए येन 1.411 बिलियन जापानी ऋण अनुदान सहायता येन के अधीन जापान से आयात

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से जो कि ······ ······आयात के संबंध में है संबद्ध संभरक के नाम में बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आप को निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं:—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता
(ख) आयात लाइसेंस की सं., दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।
(ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।
(ङ) माल का उद्गम देश
(च) संविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)
(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि।
(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता है।
(झ) संभरकों के साथ की गयी संविदा की संख्या और दिनांक
( ) संभरक का नाम और पता
(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनकी संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।
(ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि
(ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करें) प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए।
(ढ) पोत लदान अनुदेश (बालुनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं) निर्दिष्ट कीजिए।

(ज) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।

(त) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाओं) कर दी गई है । यदि हां, तो ऐसी संविदा का दिनांक और मूल्य ।

(थ) वह भारतीय पत्तन जहां उपकरण/माल का पोतलदान किया जाना है ।

भवदीय,

अनुबन्ध-4

संख्या

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय:—येन 1.411 बिलियन के लिए जापान ऋण अनुदान सहायता के अधीन आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के पास दिनांक··········को किए गए करार के नियम और शर्तों, के अनुसार आपको एतद्द्वारा मैसर्ज ( ) को परिशिष्ट में दिए गए ब्यौरे के अनुसार···············येन तक की धनराशि को भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए ।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित सवाम दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा ।

4. विदेशी संभरक को भुगतान करने के बाद, आपको————— (आयातक के बैंकर का नाम और पता) को सभी मूल पोत परिवहन दस्तावेजों (परक्राम्य) और उनके साथ-साथ दस्तावेजों के अतिरिक्त पूरे सेट और यदि कोई तत्क्षण भुगतान किया गया हो तो उसके सहित सम्भरक को किए गए भुगतान के ऋण बीजक की एक प्रति भेजनी चाहिए ।

5. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आदि के लिए भाड़ों सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े टोकियो में भारतीय दूतावास आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

6. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए सवाम दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए ।

7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है ।

8. यह भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र·········तक वैध रहेगा ।

9. कृपया संविदा से संबंधित सभी पत्राचार में और भुगतान बताने वाले बीजक में भी भुगतान के लिए इस प्राधिकार पत्र के शीर्ष पर दी गई संख्या को कोट करें ।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति प्रेषित है:—

1. आयातक············को उसके पत्र सं.············ दिनांक············के संदर्भ में ।

(1) यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र येन अनुदान के अधीन आयातों को नियंत्रित करने वाली संगत लाइसेंसिंग शर्तों के अधीन जारी किया जाता है । लाइसेंसिंग शर्तों और संबद्ध सार्वजनिक सूचनाएं/और आदेशों आदि का अवलोकन किया जाए और संबंधित आयात/विदेशी भुगतान के लिए समुचित कार्रवाई की जाए ।

2. आयातक का बैंक···················उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन/यू.एस डालर/पौण्ड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । विदेशी संभरकों को चुकाई गई धनराशि के रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं 8–आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना को समय-समय प जारी की जाए के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी । विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं. 31–आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 10-8-83 और 35/आईटीसी/पीएन/83, दिनांक 26-8-83 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक को गणना की गई अवधि के लिए 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे मे जमा कराना होगा । ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है । (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी) । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है ।

(3) ये धनराशियां चालान के दाहिने और कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशिती और आदाता) के नाम में और उसको देय दर्शाते हुए हुण्डी के माध्यम से करना चाहिए । इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 23-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज-843 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसैट्रा एब्राड-परचेजिस आड ऐड फ्राम दि गवर्नमेण्ट आफ जापान फार 1986-87 (येन 1.411 बिलियन ग्रांट एण्ड डेबिट रिलीज)"

(4) जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी.—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, विदेश मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।

(5) जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर सांकेतिक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए ।

(6) समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्चे और बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खर्चे इंडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे ।

(7) विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी के रूप में बैंक के कर्तव्य और जिम्मेदारियां भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न ए डी परिपत्रों में निर्धारित हैं। इस संबंध में विशेष संदर्भ ए डी परिपत्र सं. 22, दिनांक 18-6-77 का किया जाता है ।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो,

5. अवर सचिव (डी.ए.) शाखा, विदेश मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

लेखा अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 194-ITC (PN) |85-88

New Delhi, the 23rd June, 1987

Subject : Licensing conditions in respect of Public Sector imports under Japanese Debt Relief Grant Aid of Yen 1.411 billion for 1986-'87.

F. No. IPC|23 (30)|85-88 :—The terms and conditions governing imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1.411 billion (Debt Relief) for 1986-'87 in respect of Public Sector imports, as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

Sd|-

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports.

S. P. DHUPAR, Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

Appointed to the Ministry of Commerce Public Notice No. 194 ITC(PN)|85-88 dt. 23-6-87

Licensing Conditions in Respect of Public Sector Imports Under Japanese Grant Aid of Yen 1.411 Billion (Yen 1,411,555,000) (Debt Relief) for 1986-87 Extended by the Government of Japan.

Section I—General Conditions :

I (i) The Japanese Grant Aid of Yen 1.411 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of OECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I (ii) The licence will bear the superscription "Yen 1.411 billion Japanese Grant Aid for 1986-87". The licence code for the first and second suffix will be "S|JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charges to the licence.

I (iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licencee should approach the licencing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I (v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licencee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract only signed by both the Indian importer and the Overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and|or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1 (v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licencee should submit the import licenced to the concerned licensing authorities giving reasons why orders could not be

completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merit by the licencing authorities who may grant further extension upto a maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licencing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licencing authorities for communication to the licence.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1988.

Sector II—Special points to be kept in view while Negotiating a supply contract.

II (i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one cent or one penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (iii) Eligibility of Supplier.

The supplier shoull be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III.—The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 27-2-87 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid—of Yen 1.411 billion for 1986-87 "and will be subject to the approval of Government of India".

III (ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A|P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1986-87.

III (iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other

III (iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require this period of notice may be reduced The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV Contract Approval by Govt. of India.

IV (i) As soon as the orders are finalised, the licencee should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the Overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects with two photo copies of the relevant valid import licence and also two copies of the request for issue of A|P" in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (ii) If the contract documents "Request for issue of A|P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

IV (iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay (A|P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A|P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV (iv) On receipt of the Authorisation to pay (A|P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

IV (v) The foreign supplier shall, after effecting shipment, present through his banker, the documents specified in the A|P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A|P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V Responsibility for rupee deposit.

V (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (O) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen|US$|Pound sterling payments made to the supplier along with interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 12% per annum for the first thirty days and at 18% for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC (PN) |83 dated 10-8-83 and No. 35|ITC (PN) 83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC (PN)|74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC (PN) |76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen|US$|£ Payment will be prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC (PN) |76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any changes in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited in to the Govt. account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1986-87 (Yen 1.411 billion Grant Aid-Debt-Relief).

V (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 513000000 on the right hand corner of the challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN) 68 dated 30-8-1968, No. 283-ITC (PN) |68 dated 24-10-68 and No. 132-ITC (PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC (PN) |74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC (PN) |76 dated 12-10-1976.

V (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of Service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC (PN) |71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC (PN) |74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC (PN) |76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans

(a) Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversation adopted.

(c) Date of payment to the foreign supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

SECTION—VI Miscellaneous provisions

VI (i) Reports on the utilisation of the import licence.

**

The importer should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping etc. documents by the importers Banker will not be acceptable as a reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

VI (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI (iii) Disputes.

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that my arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI (iv) Future Instructions.

The licensee shall promptly comply with directions, instructions or orders issued by the Govt. of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import ilcence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1986-87 from Japan.

VI (v) Breach or violation.

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI (vi) List of Annexures.

Annexure—I List of eligible source countries.

Annexure—II List of eligible commodities.

Annexure—III Form of Request for issue of Authorisation to pay (a A|p).

Annexure—IV Form of letter of Authorisation to Pay (A|P).

** The importer should send a monthly report, after the A|P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

ANNEXURE—I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. OECD Countries.

Australia
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
The Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
the United Kingdom and
the United States.

B. Developing Countries & Territories.

(b1) Non-OPEC Developing Countries.

I. Africa, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunsia

II. Africa, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Camaroon
Cape Vards Islands
Central African Rep
Chad
Comoro Islands
Congo, People's

Republic of Dahomay (1)
Equatorial Guinea
Ethopia
Gambia
Ghana
Guinia
Ivory Coast
Kenya
Lesothe
Libaria
Malagasy Repylic
Malawi
Mali
Mauritan-ia
Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and Dep (2)
Sao Tome and Principee
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro, Afars and
Isses
Tago
Uganda
Un. Rep. of Tenazania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMRICA, North and Cent

Bahamas
Barbodosen
Belize
Barmuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Maxico
Netherlands Atilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miguelon
Trinidad and Tabago
West Indies (Br.) n.i.c

(1) Formerly the territory of Spanish Guinae, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaceessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Fonaire, Curacao, Saha, St. Eustocit, St. Helina Southern Part).

(a) Associated States (1)

(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Fulkland Islands
French Guiana
Guyana
Paragusy
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Amirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far aEst

Burnei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timer
Vietnam, Rep. of
Viet-Nam Dam. Rap.

(1) Main islands : Antigula, Dominca, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main islands : Montserrant, Gayman, Turks and Caicos, and British, Virgin Islands.

(3) IA jman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaiman, Sharjah and Ummal Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (Including Tahiti), The Austral Islands, the Tuametu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

VIII. Cock Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Pelynesia (5)
Nauru
New Caledonia
New B Hebrices (Br. and Fr.)
Hieu
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tongo
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. EUROPE

Cyprus
Gibralter
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezula
Iran
Iraq
Kuwait
Qater
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE-II

ELIGIBLE COMMODITY LIST

1. Rolls

2. Steel including special steel & alloy steel.

3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors.

4. Chemicals.

5. Spares, components and raw materials for Japan aided Projects and Indo-Japanese Joint Ventures.

6. Components, attachments and spares for power tillers.

7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials.

8. Machinery and equipment for the small Scale Sector.

9. Machinery, equipment and spares for the Oil & Natural Gas sector.

10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

ANNEXURE III

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No.....

To,

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001

Subject : Import under the Japanese Debt-Relief Aid of Yen 1.411 billion for 1986-87.

Sir,

In connection with the import of———————— from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish for following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

(a) Name and Address of the Indian Importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement-whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F value of contract (in Yen)

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen) if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F value (in Yen) for which the A|P is required.

(i) Name and date of the contract with Suppliers.

(j) Name and address of the Supplier.

(k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo, (incl. indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment|partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and address of the Importer's Bank in India.

(p) Whether a contract (s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.

(q) Indian port to which the equipment|materials are to be shipped.

9. Please quote the number given at the top of this Authorisation to Pay in all correspondence relating to the contract and also in the advices showing payment.

Yours faithfully,

Accounts Officer.

ANNEXURE-IV

No.....

Government of India

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the.....

To

The Bank of India,

Tokyo Branch,

Tokyo (Japan)

Sub :—Import under Japanese Debt-Relief Grant Aid of Yen 1.411 billion—Issue of Authorisation to pay

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay on amount not exceeding Yen ————————to M|S ————————(as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Suppliers of the fact of receipt of this authorisation to Pay (A|P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3.. Payments to the Suppliers in terms of the A|P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. On making payment to the foreign suppliers, you should send to————————(Name & address of importers Banker) all the original shipping documents (negotiable) as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India Tokyo| Importers Bank.

6. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier, an advice in the prescribed from should be sent to this Ministry and the importer's bank.

7. No amendments to A|P may be issued in the absence of a Specific authority from this Ministry.

8. The A|P will remain valid upto————————

Copy forwarded to :—

1. Importer————————with reference to their letter No.———— dated.

2. Importers' Banker.....

(i) This authorisation to pay is issued under the relevant licensing conditions governing the imports under Yen grants. The licensing conditions and connected Public Notices, orders etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import|foreign payments.

(ii) ————————(ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen| US$|£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applaying the composite rate of convertion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 12% per annum for the first thirty days and at the rate of 18% per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Govt. Account, is required to be depdsited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-83 and No. 35|ITC|PN|83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be notified if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

(iii) These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis

Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 23-ITC (PN) |68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC (PN) |71 dated 5-10-71, No. 74-ITC (PN) |74 dated 31-5-74 and 103-ITC (PN)|76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1986-87 (Yen 1.411 billion Grant Aid-Debt Relief).

(iv) One copy of the Challan in Original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC (PN) |71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimaitons thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest 1% and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

(vi) The banking charges of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

(vii) The Bank's duties and responsibilities as authorised Dealer in Foreign Exchange are prescribed in various A.D. circulars of the Reserve Bank of India. Specific references in this regard is invited to A.D. Circular No. 22 dt. 18-6-1977.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, (TC) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi-110001 with reference to ID No. |Jap. dt.

(Accounts Officer)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987